## <u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक-499 / 2012</u> <u>संस्थित दिनांक-26.06.2012</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी उकवा, आरक्षी केन्द्र—रूपझर
जिला—बालाघाट (म.प्र.) 💉 ———————————————————————————————————
<u>किं</u> // <u>विरूद</u> //
देवेन्द्र पिता लखेन्द्र नंद्र, उम्र–४८ वर्ष,
साकिन प्रेमनगर उकवा, पुलिस थाना रूपझर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.), — — — — — — — — — — — — <u>आरोपी</u>
<i>∕</i>

## (आज दिनांक—22 / 08 / 2014 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा—294, 323, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—20.06.2012 को समय शाम करीब 10:15 बजे स्थान प्रेमनगर कालोनी उकवा, पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान प्रार्थिया यशोदाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, फरियादी को हाथ—मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—20.06.2012 को समय शाम करीब 10:15 बजे स्थान प्रेमनगर कालोनी उकवा, पुलिस चौकी उकवा थाना रूपझर, जिला बालाघाट अन्तर्गत प्रार्थिया यशोदाबाई अपनी मॉ सनकुरियाबाई के साथ मॉयल आफिस आवेदन देने गई थी तथा जब वह वापस आयी तो देखी कि माईन्स की गार्ड ने उसकी मॉ की झोपडी को तोड दिये थे, जब वह जाकर बोली की उसकी मॉ की झोपडी क्यों तुडवाये तो आरोपी देवेन्द्र ने उसे गन्दी—गन्दी गालियाँ दिया और उसका हाथ पकड़कर खीचतान किया, जिससे उसके हाथ में खरोंच आयी और ब्लाउस भी फट गया, और जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थिया द्वारा पुलिस चौकी उकवा में आरोपी के विरुद्ध कपराध कमांक—0/2012 अंतर्गत धारा—294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिस पर थाना रूपझर द्वारा असल कायमी करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—62/12, धारा—294, 323, 506 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना

रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506(भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की गई है।
- 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक—26/06/2012 को समय 10:15 बजे ग्राम उकवा में प्रेमनगर कालोनी में प्रार्थिया के घर के सामने लोक स्थान पर फरियादी यशोदाबाई को तेरी मॉ—बहन को चोदू अश्लील शब्दो उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
  - 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर ही उपहति के सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी यशोदाबाई को हाथ—मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?
  - 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से प्रार्थिया / आहत यशोदाबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

## विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष

प्रार्थिया / आहत यशोदाबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि वह आरोपी को जानती है उसके घर के सामने रहता है। घटना दिनांक-20 / 06 / 2012 की है। सनक्रियाबाई उसकी माँ है, उसकी झोपडी को न तोडने क लिए वे लोग माईन्स आफिस गये थे। उसने घटना दिनांक को आरोपी देवेन्द्र को बोली थी कि उसकी माँ की झोपडी को क्यों तुडवाये हो तो आरोपी ने बोला था कि मै माईन्स का आदमी हूं कुछ भी कर सकता हूं। आरोपी ने उसे मॉ-बहन को चोदू की गंदी-गंदी गालियाँ दिया था जो उसे सुनने में बहुत बुरी लगी। आरोपी जिस स्थान से गाली दे रहा था वह घर से आने-जाने का रास्ता है। आरोपी दौडकर आया और उसके बांये हाथ को पकडकर खींचतान करने लगा तथा और हाथ-मुक्को से मारपीट किया, जिससे उसका ब्लाउस फट गया था। उसने घटना की रिपोर्ट चौकी उकवा में प्रदर्श पी-1 की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। घटना के समय उसकी माँ और लंडकी थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण शासकीय अस्पताल परसवाडा में हुआ था। उसने पुलिस को घटना स्थल बतायी थी, पुलिस द्वारा उसके समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किये थे, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे एक ब्लाउस जप्ती प्रत्रक प्रदर्श पी-3 के अनुसार जप्त की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना के सबंध में उससे पूछताछ की थी।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी मां ने माईन्स की जगह में झोपड़ी बनायी है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कथन किया है कि उसे ध्यान नहीं है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय आरोपी द्वारा हाथ—मुक्कों से मारने वाली बात लिखायी थी या नहीं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि आरोपी ने उसे अश्लील शब्दों का उच्चारण नहीं किया और उसके साथ मारपीट नहीं किया। साक्षी के न्यायालयीन कथन और उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 में केवल इस तथ्य में भिन्नता है कि उक्त रिपोर्ट में यह लेख है कि आरोपी ने उसका घटना के समय उसका हाथ पकड़कर खींचतान किया था, जबिक न्यायालयीन कथन में साक्षी का कथन है कि आरोपी ने उसे हाथ—मुक्कों से मारपीट किया था। यद्यपि उक्त मारपीट के साथ साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर खींचतान किया था, जिससे उसका ब्लाउस फट गया था। इस प्रकार साक्षी ने उसकी रिपोर्ट एवं पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभाष नहीं है। साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

7— कुमारी श्रद्धा झारिया (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन की है कि वह आरोपी को जानती है। प्रार्थिया यशोदाबाई उसकी माँ है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व लगभग 10:15 बजे सुबह की है आरोपी ने उसकी नानी की झोपड़ी तुडवा दिया था तो उसकी मां यशोदाबाई ने आरोपी को बोली थी कि तूने झोपड़ी क्यों तुडवाया तो आरोपी ने कहा था कि मै कम्पनी का आदमी हूं कुछ भी करवा सकता हूं जान से भी मरवा सकता हूं। आरोपी ने मां—बहन को चोदू की गंदी—गंदी गालियाँ दिया था जो सुनने में बहुत बुरी लगी थी। आरोपी गालियाँ मेरे घर के सामने खडा होकर दे रहा था, जहाँ से आने—जाने का रास्ता है। आरोपी ने उसकी मां के साथ खींचतान किया था, जिससे उसकी मां के हाथ की चुडिया टूट गई थी और ब्लाउस फट गया था। साक्षी ने फरियादी के कथन का समर्थन करते हुए उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता।

8— संकुविरयाबाई (अ.सा.३) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। प्रार्थिया यशोदाबाई उसकी लड़की है। घटना करीब एक वर्ष पूर्व की है आरोपी को मकान तुड़वाने की बात पर से बोल रही थी तो आरोपी ने उसकी लड़की यशोदाबाई को जान से खत्म कर दूंगा करके हाथ से खींचा और हाथ—मुक्को से मारपीट किया था। आरोपी ने उसकी लड़की को भोसड़ा चोदी की गंदी—गंदी गालियाँ दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह माईन्स आफिस में गयी थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि खींचतान करने के बाद गयी थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा भी अभियोजन मामले का समर्थन किया गया है।

9— अनुसंधानकर्ता जगदीश गेडाम (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—20/06/2012 को पुलिस चौकी उकवा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध क्रमांक—0/12, धारा—294, 323, 506 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था, जिस पर उसने विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसने प्रार्थिया यशोदाबाई, साक्षी संकुरियाबाई, श्रद्धा उर्फ रतना एवं दिनांक—23/06/2012 को हीरालाल, ब्रजलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक—20/06/2012 को साक्षियों के समक्ष आरोपी देवेन्द्र को गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—4 अनुसार गिरफतार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक—23/06/2012 को प्रार्थिया यशोदाबाई के द्वारा एक नश कलर का ब्लाउस जो बांये साईड से फटा था पेश करने पर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—3 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को अपनी साक्ष्य में प्रमाणित किया है।

वचाव पक्ष की ओर से बचाव में यह तर्क पेश किया गया है कि घटना के समय आरोपी मौके पर नहीं था, बिल्क आरोपी खान कर्मचारी के रूप में सुरक्षा विभाग कार्यालय में दिनांक—20.06.2012 को समय सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे तक इयूटी पर उपस्थित था। उक्त के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से मायल लिमिटेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श डी—1 पेश किया गया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को प्रमाणित कराने हेतु बचाव पक्ष की ओर से गोविंद (ब.सा.2) की साक्ष्य पेश की गई है, जिसने अपने न्यायालयीन कथन में प्रमाण पत्र में उल्लेखित तथ्य के संबंध में मौखिक साक्ष्य पेश की है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी को उक्त घटना दिनांक व समय में पूछताछ के लिए बुलाये जाने के संबंध में कोई लिखापढ़ी नहीं की गई है। जबिक साक्षी का यह भी कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए कार्यालय में बुलाया जाता है तो दस्तावेज में लिखापढ़ी किया जाना जरूरी है। साक्षी के द्वारा उक्त पूछताछ के संबंध में आरोपी को सूचना प्रेषित करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश न करने के संबंध में कोई विया गया है।

11— सुरक्षा सैनिक अनिल मडावी (ब.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी को घटना के समय पूछताछ के लिए आफिस में बुलाये जाने के कथन किये है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी—1 का प्रमाण पत्र मायल लिमिटेड द्वारा पांच महिने बाद जारी किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी मायल लिमिटेड उकवा का ही कर्मचारी है। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दोनों ही साक्षी आरोपी देवेन्द्र के साथ कार्यरत् सहकर्मी है तथा उनके द्वारा घटना स्थल पर आरोपी की अनुपस्थित के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य हितबद्ध साक्षी के रूप में पेश किया जाना प्रकट होता है। इस कारण बचाव पक्ष के साक्षीगण के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते।

बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क पेश किया गया है कि अभियोजन की ओर से जिन साक्षीगण को पेश किया गया है वे स्वयं फरियादी यशोदा (अ.सा.1), उसकी पुत्री कुमारी श्रद्धा (अ.सा.२) एवं उसकी मां सनकुवरियाबाई (अ.सा.३) को हितबद्ध साक्षी के रूप में पेश किया गया है। उक्त साक्षीगण के अलावा अभियोजन ने किसी साक्षी को पेश नहीं किया है। उक्त के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त अभियोजन साक्षीगण आपस में निकट रिश्तेदार है, किन्तु मात्र उनके निकट संबंधी होने और अभियोजन की ओर से इन साक्षीगण के अलावा अन्य साक्षियों को पेश न किये जाने के कारण उनकी साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं हो जाता है। वास्तव में फरियादी यशोदा (अ.सा.1), उसकी पुत्री कुमारी श्रद्धा (अ.सा.2) एवं उसकी मां सनक्वरियाबाई (अ.सा.३) ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले के अनुरूप कथन किये है, जिनमें महत्वपूर्ण विसंगति नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से उक्त साक्षीगण के कथनों का खण्डन भी नहीं किया गया है। उक्त सभी साक्षीगण ने एकमत होकर अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपी के द्वारा फरियादी के घर के सामने अश्लील शब्दों व गालियों का उच्चारण करने और फरियादी यशोदा को हाथ पकडकर खींचतान करने व मारपीट करना प्रकट किया है, जिसका खण्डन नहीं हुआ है। यद्यपि उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में ऐसे कथन नहीं किये है कि आरोपी के द्वारा कथित जान से मारने की धमकी देने के फलस्वरूप फरियादी को ऐसा डर व भय से आतंकित होना पडा, जिससे उसे अभित्रास कारित हुआ हो। मामले में यह स्पष्ट है कि फरियादी के द्वारा घटना के तत्काल पश्चात् आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। ऐसी दशा में फरियादी का कथित धमकी से संत्रास कारित होने या आपराधिक अभित्रास कारित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

13— अभियोजन ने अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी के द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के घर के सामने उसे अश्लील शब्द का उच्चारण कर उसको तथा दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 में उक्त स्थान फरियादी के घर के सामने सार्वजनिक मार्ग के रूप में दर्शित किया गया है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा लोक स्थान में फरियादी यशोदा को अश्लील शब्दों को उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित करने का तथ्य प्रमाणित होता है।

14— अभियोजन की ओर से सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण ने एकमत में अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय फरियादी यशोदा का हाथ पकड़कर खींचतान किया, उसका ब्लाउस फटा। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि आरोपी ने आहत यशोदा को हाथ—मुक्के से मारपीट नहीं किया तब भी आरोपी के द्वारा आहत यशोदा का हाथ पकड़कर खींचतान करना और इस कारण उसका ब्लाउस फट जाना यह दर्शित करता है कि आरोपी का घटना के समय आहत यशोदा को निश्चित ही उपहित कारित करने का आशय था तथा आरोपी के उक्त कृत्य से आहत यशोदा को साधारण चोट पहुंची थी। आरोपी के द्वारा किया गया

उक्त कृत्य आहत यशोदा को स्वैच्छया उपहित कारित करने की श्रेणी में आता है।

15— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया हैं कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोक स्थान पर प्रार्थिया यशोदाबाई को अश्लील शब्दो का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा आहत यशोदा बाई को हाथ पकड़कर खींचतान कर स्वेच्छया उपहित कारित किया। अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी यशोदाबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—506 (भाग—दो) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर शेष धारा—294, 323 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध उहराया जाता है।

16— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड़ के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगित किया गया।

> (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

## पश्चात्-

17— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड़ से दिण्डत कर छोड़ा जावे।

18— मामले में आरोपी और फरियादी के मध्य मकान के अतिक्रमण हटाने के संबंध में विवाद को लेकर घटना के समय आरोपी ने आहत यशोदा का हाथ पकड़कर खींचतान कर उपहित पहुंचायी है। मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ती संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/—(पॉच सौ रूपये), 1000/—(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक—एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

19— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

20— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पति ब्लाउस मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

All Hard Release to the Release to t

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट